झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: ***संकल्प*** ::

कृपया पढ़े :–

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प संख्या– 2098 दिनांक 11.04.2008,
2. उपायुक्त कार्यालय, गिरिडीह का पत्रांक– 1056/गो. दिनांक 17.05.2007
3. आरोपित पदाधिकारी का बचाव बयान,
4. आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 15 दिनांक 24.08.2012

श्री सत्यप्रकाश, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बगोदर, गिरिडीह के विरूद्ध वर्ष 2005–06 एंव 2006–07 के लिए दीनदयाल आवास योजना के योजना पंजी में सुरेश भुईयाँ के नाम का उल्लेख नहीं रहने के बावजूद उनके नाम से राशि की निकासी की गई; श्री सुरेश भुईयाँ से संबंधित उपलब्ध कराये गये अभिलेख की प्रति में योजना सं0 को काट कर अपठनीय बना दिया गया; चेक सं0– 445992 दिनांक 30.10.2006 के द्वारा 12,500/– नगद के रूप में बैंक द्वारा दिनांक 31.10.2006 को भुगतान किया गया आदि आरोप प्रपत्र– 'क' में उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा प्रतिवेदित किये गये। उक्त प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में विभागीय संकल्प सं0– 2098 दिनांक 11.04.2008 द्वारा आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। इस निर्णय के तहत् श्री सत्यप्रकाश को संचालन पदाधिकारी के समक्ष संकल्प प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अंदर अपना लिखित बचाव बयान प्रस्तुत करने एवं उसकी प्रति कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

आरोपी पदाधिकारी से लिखित बचाव बयान प्राप्त कर संचालन पदाधिकारी द्वारा विधिवत् श्री सत्यप्रकाश के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन कर पत्रांक–15 दिनांक 24.08.2012 द्वारा जाँच प्रतिवेदन सरकार को समर्पित किया गया। आरोपित पदाधिकारी श्री सत्यप्रकाश के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन अन्य सुंसगत अभिलेखों के आधार पर मामले की सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार ने श्री सत्यप्रकाश के विरूद्ध निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया हैः–

(1) **निन्दन; तथा,**
(2) **तीन वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक;**

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री सत्यप्रकाश, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बगोदर, गिरिडीह सम्प्रति कार्यपालक दण्डाधिकारी, जामताड़ा एवं अन्य संबंधितों को भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–2/विविध–43/2007 का०–......................../ राँची, दिनांक –.............सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि राजपत्र की 10 (दस) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–2/विविध–43/2007 का०–11210/ राँची, दिनांक –01 सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि– मुख्यमंत्री झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव कोषांग, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग /प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका/उपायुक्त, जामताड़ा/विभागीय प्रशाखा– 2 एवं 2ए (चारित्री) कोषांग/कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा/श्री सत्यप्रकाश, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बगोदर, गिरिडीह सम्प्रति कार्यपालक दण्डाधिकारी, जामताड़ा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव ।